

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

भंगरलाल पिता रामपाल महाजन नि. जहाजपुर बगैरा

बनाम

गोपाल पिता रामनारायण रेगर नि. जहाजपुर बगैरा

किस्म नुकदना प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 90 / 2022

तारीख हुज्ज	हुज्ज या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुज्ज की तारीख में जारी हुई
08.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिने से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2736 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ. न. 2744 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आ. न. 2745 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आ. न. 2746 रकबा 0.1619 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्गित कृषि आराजी के पड़ोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सन्वत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2736 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आ. न. 2744 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आ. न. 2745 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, आ. न. 2746 रकबा 0.1619 हैक्टेयर की बसामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु नू अमिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	
	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	